

14 JAN 2011

राष्ट्रीय हिन्दी भेल, भागल

# पौने चार हजार कन्याओं की धूमधाम से शादी

गृहस्थी बसाने के लिये दी गयी दो करोड़ से अधिक की सामग्री

धीरज दुबे

इंदौर, 13 जनवरी। इंदौर जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के तहत पिछले पाँच वर्षों में पौने चार हजार से अधिक निर्धन कन्याओं की शादी सरकारी खर्च पर धूमधाम से करायी गयी। इन कन्याओं को गृहस्थी बसाने के लिये दो करोड़ रुपये से अधिक की सामग्री दी गयी।

सामाजिक न्याय कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह योजना वर्ष 2006-07 से शुरू की गयी। इस योजना के तहत अब तक 3 हजार 755 कन्याओं की शादी करायी जा चुकी है। इनमें अनुसूचित जाति की एक हजार 45, अनुसूचित जनजाति की 603, पिछड़ावर्ग की एक हजार 169 तथा सामान्य वर्ग की 937 कन्यायें शामिल हैं। वर्ष 2006-07 में 874, 2007-08 में 569, 2008-09 में एक हजार 457, 2009-10 में 710 तथा 2010-11 में 155 निर्धन कन्याओं की

शादी करायी गयी।

राज्य शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अब नवदम्पतियों को 9 हजार रुपये की सामग्री गृहस्थी बसाने के लिये दी जायेगी। पूर्व में साढ़े सात हजार रुपये की सामग्री गृहस्थी बसाने के लिये दी जाती थी। जिला प्रशासन ने इस वर्ष इस योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करने के संबंध में मार्गदर्शी निर्देश जारी कर दिये हैं। सामूहिक विवाह का आयोजन मध्यप्रदेश फार्मस एण्ड सोसायटी एक्ट के तहत पंजीकृत संस्थाओं अथवा स्थानीय निकायों जिला, जनपद पंचायत, नगर पंचायत तथा नगर निगम के माध्यम से कराये जायेंगे। समाज विशेष के नाम अथवा समाज विशेष का आयोजन नहीं कराया जायेगा। प्रायोजक संस्था को सामूहिक विवाहों में सम्मिलित होने वाली कन्याओं, विधवा एवं परित्यक्ताओं को गृहस्थी बसाने की सामग्री के लिये प्रति कन्या 9 हजार रुपये तथा आयोजन के

लिये प्रति कन्या एक हजार रुपये कुल दस हजार रुपये प्रदान किये जायेंगे। प्रायोजक संस्था आयुक्त नगर पालिक निगम इंदौर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अपने-अपने स्तर से भण्डार ऋय नियम के तहत सामग्री खरीदेंगी। ऋय की जाने वाली सामग्री में प्रेशर कुकर, सिलाई मशीन, गैस कनेक्शन को भी प्राथमिकता दी जायेगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन फार्मों की जाँच के लिये शहरी क्षेत्र इंदौर में कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, नगर पंचायत क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्रों के प्रकरणों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जाँच एजेंसी रहेंगी। जिले से अन्यत्र प्राप्त होने वाले आवेदनों को निर्धारित समयावधि में सीधे उस जिले के जिलाधीश कार्यालय को भेजकर जाँच करवाई जायेगी।